



कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरत्न कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. पीईआरएल/6(75)/99- खंड III दिनांक 07 दिसंबर 2021

अनुबंध के आधार पर कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में अनुदेशक का प्रवेश चयन

कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरत्न कंपनी, प्रवेश चयन के माध्यम से सीएसएल में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित पदों पर आवेदन आमंत्रित करते हैं-

I. पद का नाम, रिक्तियों की संख्या, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आयु:

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	आयु
अनुबंध के आधार पर अनुदेशक (अग्निशमन)	1 पद	इंजीनियरिंग के किसी भी शाखा में डिप्लोमा या किसी भी विषय में स्नातक।	<u>अनिवार्य :-</u> भूतपूर्व भारतीय नौसेना / तटरक्षक बल में कम से कम 10 वर्षों के अनुभव के साथ, जिसमें अग्निशमन पर कम से कमछह साल का निर्देशात्मक कर्तव्य शामिल है। <u>वांछनीय :-</u> न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल व केमिकल डिफेंस (एनबीसीडी) अनुदेशक पाठ्यक्रम की पूर्ति ।	65 वर्ष से अधिक न हो।

II. अनुबंध की अवधि और तैनाती स्थान:

उपर्युक्त पद का स्वरूप अस्थायी है और इसकी अवधि तीन वर्षों की होगी और यह संगठनात्मक आवश्यकताओं और वैयक्तिक निष्पादन के अधीन दो साल की अवधि केलिए बढ़ाई जा सकती है।

III. पारिश्रमिक

पद केलिए अनुबंध के पहले वर्ष हेतु पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार है :

समेकित वेतन (प्रति महीने)	चिकित्सा भत्ता (₹)	कुल (₹)
₹ 32,870/-	₹ 2130/-	₹ 35,000/-

IV. आयु:

पद केलिए अधिकतम आयु सीमा दि. 10 दिसंबर 2021 तक होगी ।

V. चयन की रीति व आवेदन प्राप्ति की रीति:



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरत्न कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- क. अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदक दिनांक 10 दिसंबर 2021 को पूर्वाह्न 09.00 बजे से 13.00 बजे तक पद केलिए प्रवेश चयन में शामिल होंगे और निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र की स्वयं साक्षांकित प्रतियों के साथ आगंतुक सुविधा केंद्र, रविपुरम गेट, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची - 682015 पर उपलब्ध कराए गए ड्रॉप बॉक्स में आवेदन जमा करेंगे। आवेदन प्रारूप हमारे वेबसाइट www.cochinshipyard.in (Career page→CSL) में विश्वापन के साथ अनुबंध- 1 पर दिया गया है।
- ख. आवेदनों को बाद में सत्यापित किया जाएगा और जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक प्रमाणपत्र सत्यापन और लघुसूचीगत किए हैं, उन्हें केवल उसी दिन या बाद के तारीखों में वैयक्तिक साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जो आवेदनों की संख्या के आधार पर है।
- ग. किसी अन्य रीति में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- घ. प्रवेश चयन में भाग लेनेवाले उम्मीदवार निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहिए :-
- अनुबंध-I में आवेदन प्रपत्र, आवेदन में हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ लगाना है।
 - एक फोटो पहचान कार्ड (मूल)
 - आधार कार्ड की मूल एवं स्वयं साक्षांकित प्रति
 - आयु/जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण म मूल प्रमाणपत्र और प्रमाणक और प्रमाणपत्रों की स्वयं साक्षांकित प्रतियां।
 - आरटीपीसीआर/ आरएटी टेस्ट परिणाम या टीकाकरण प्रमाणपत्र (2 खुराक) जैसे लागू हो।
- ड. आवेदन प्रपत्र विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार हर प्रकार पूर्ण होना चाहिए। कृपया नोट करें कि अपूर्ण और अहस्ताक्षरित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी भाग में बेकार विवरणों को प्रस्तुत करना आपके आवेदन अस्वीकार करने का कारण बन सकता है।
- च. जो आवेदन अधूरे है, निर्धारित प्रारूप में नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, आवश्यक संलग्नकों के बिना, बिना कोई कारण बताए आवेदन तुरंत ही अस्वीकार किया जाएगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- छ. आयु, योग्यता, अनुभव, जाति आदि की ओर मूल प्रमाणपत्र और इन सभी प्रमाणपत्रों की स्वयं-साक्षांकित प्रतियां साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन केलिए प्रस्तुत करना चाहिए और उनकी उम्मीदवारी इन मूल प्रमाणपत्रों के बल पर विचार किया जाएगा। मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होने के मामले में, उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाएगा।

VI. शर्तें:

- क. आरक्षण
- अ.जा/ अ.ज.जा/अ.पि.व/इडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी /भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) उम्मीदवारों को लागू आरक्षण पर भारत सरकार के निदेशों को लागू करेंगे, जो योग्यता अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन है।
 - पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के मामले में दिव्यांगजता की मात्रा न्यूनतम 40% होना चाहिए। दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017 के अनुसार, उम्मीदवारों के पास दिव्यांगजता के प्रमाण में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त वैध अशक्तता प्रमाणपत्र होना चाहिए।



ख) योग्यता:

- i) पद केलिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, राज्य या केंद्र सरकार में एआईसीटीई/ उचित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या परीक्षा बोर्ड से होना चाहिए ।
- ii) निर्धारित योग्यताओं में किसी के समतुल्य योग्यता रखनेवाले जिन आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तुल्यता प्रमाणपत्र के साथ आवेदन की मुद्रित प्रति होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- iii) प्रवेश चयन के समय खंड I में बताए अनुसार शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्रों के स्वयं साक्षात्कृत प्रतियां प्रस्तुत करना है, असफल हो जाए तो उन्हें चयन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ग) अनुभव:

- i) केवल उपर्युक्त मद 'I' में निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण होने के बाद प्राप्त किए अनुभव पर ही विचार किया जाएगा । अनुभव के पूर्व योग्यता की अवधि दि 10 दिसंबर 2021 से गिना जाएगा ।
- ii) आवेदक जो वर्तमान रूप में किसी कंपनी (निजी/ सार्वजनिक/ सरकारी) में काम कर रहे हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, संगठन द्वारा जारी नियुक्ति/ नियुक्ति प्रस्ताव पत्र की प्रति, कार्य अनुभव के सबूत के रूप में हाल के वेतन पर्ची /अंतिम आहरित वेतन पर्ची की प्रति प्रस्तुत करना चाहिए । पिछले रोज़गार केलिए, कार्यभार ग्रहण करने और कार्यमुक्ति की तिथि को सूचित करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
- iii) भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से जुड़े उम्मीदवार के मामले में, उन्हें सशस्त्र बल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र या पेशन भुगतान आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना है। जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपने कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में डिग्री अनुलेखित किया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित ट्रेड में काम करने का अनुभव होना चाहिए। डिग्री के समतुल्यता दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को समतुल्यता प्रमाणपत्र या प्राधिकार (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें) के साथ कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र में उसी का पृष्ठांकन प्रस्तुत करना है, अनुभव के प्रमाण के रूप में, सशस्त्र बलों में संगत शाखा में योग्यता और कार्य अनुभव सूचित करने संबंधित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए, इसे प्रमाणपत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना है । उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है, जिसके प्रस्तुत करने में चूक होने पर उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- iv) आवेदक जो तटरक्षक कर्मी हैं, उन्हें संबंधित प्राधिकारियों से संबंधित शाखा में सेवामुक्ति प्रमाणपत्र और अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
- v) प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, आवेदकों को अपने आवेदन में दावा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए मूल रूप में सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

घ) सामान्य:

- i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी पदों केलिए रिक्त अधिसूचना के अनुसार योग्यता अपेक्षाएँ रखते हैं ।



कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरत्न कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- ii) कोविड- 19 महामारी की स्थिति के वर्तमान संदर्भ में, उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे सीएसएल परिसर में चयन परीक्षा, प्रमाणपत्र सत्यापन और साक्षात्कार के दौरान में भाग लेते समय निम्न सूचितानुसार सभी सुरक्षा संबंधी अनुदेशों का पालन करें:
- क) चयन परीक्षा में भाग लेनेवाले सभी उम्मीदवार को रैपिड एंटीजन जांच या आरटीपीसीआर जांच करना है (जो रोगसूचक हो और आंटीजन नेगटीव हो) और चयन प्रक्रिया में भाग लेने केलिए नेगटीव जांच परिणाम (जो 48 घंटों के भीतर लिया गया हो) प्रस्तुत करें।
- ख) उपरोक्त खंड उन उम्मीदवारों केलिए लागू नहीं होगा, जिन्होंने टीकाकरण प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन, टीकाकरण की दो खुराक ली हैं। हालांकि जो रोगसूचक हैं, उन्हें उपरोक्त परीक्षों से गुजरना होगा और नेगटीव टेस्ट रिसल्ट देना होगा।
- ग) अंतर-राज्य/अंतर-जिला यात्रा करनेवाले सभी उम्मीदवारों को सीएसएल में चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सरकारी/आईसीएमआर के प्रचलित मार्गनिदेशों का सख्त पालन करना चाहिए।
- घ) यह सलाह दी जाती है कि जहां तक संभव हो, भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन से दूर रहें। ऐसे परिवहन का उपयोग करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे मास्क, गोगिल्स, दस्ताने आदि पहनें और खाली हाथों से सतहों को छूने से बचें।
- ड) प्रवेश चयन में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार अपनी नाक, मुंह, गाल आदि ढंकते हुए उचित फेस मास्क पहनेंगे। आवेदक द्वारा पहचान केलिए गेट पर मास्क को हटाया जाएगा। फेस मास्क न पहने आवेदकों को सीएसएल में प्रवेश केलिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- च) स्थान में प्रवेश पानेवाले सभी उम्मीदवारों को गेटों, प्रवेश द्वार आदि में चिह्नित स्थानों पर खड़ा होना चाहिए ताकि इन स्थानों पर एक मीटर की सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।
- छ) प्रवेश निकास केलिए/प्रमाणपत्र सत्यापन के स्थान या गेटों में भीड़भाड़ केलिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ज) सभी उम्मीदवार खाली हाथों से किसी भी खंभे, बार, हैंडरेल आदि को छूने से बचें।
- झ) सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा जांच केलिए गेटों पर अपने जैकेट/ऑवरकोट आदि को हटा देना चाहिए।
- ज) गेटों से प्रवेश करनेवाले सभी उम्मीदवारों को थर्मल स्कैनर के साथ अनिवार्य स्क्रीनिंग की जाएगी।
- ट) मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और कतार प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- ठ) पॉजिटीव जांच परिणाम या श्वास संबंधी समस्याओं के साथ बुखार और खांसी पाए जानेवाले किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश चयन / साक्षात्कार में भाग लेने केलिए प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ड) सभी उम्मीदवार को अपनी वैयक्तिक सैनिटाइज़र (50एमएल), पानी की बोतलें, मुख्य रूप से पारदर्शी पानी की बोतल/अन्य जलपान लाना चाहिए और व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें।
- ढ) सभी उम्मीदवार को अपनी लेखन सामग्रियों को लाना है और ऐसी वस्तुओं को साझा करने बचना है।



- ण) प्रवेश चयन और साक्षत्कार के स्थान के अलावा सीएसएल के किसी भी अन्य क्षेत्रों / भवनों/कार्य स्थानों पर गमनागमन सख्त निषिद्ध है।
- iii) सीएसएल को उनके आवेदन प्रपत्र में सूचितानुसार शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के सबूत में उम्मीदवारों से अन्य कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ी सबूत मांगने का अधिकार है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना एवं उत्तर ई-मेल career@cochinshipyard.in द्वारा होना चाहिए। फिर भी, कोचीन शिप्यार्ड निर्धारित तिथि एवं समय पर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/ गेर-प्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने पर, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और आगे कोई पत्राचार इस संबंध में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
- iv) उम्मीदवार को चयन में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता नहीं दी जाएगी।
- v) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबंध आधार पर हैं और ठेके की अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद में चयनित उम्मीदवार को रोज़गार देने हेतु सीएसएल उत्तरदायी नहीं होगा।
- vi) अपात्रता के मामले में उम्मीदवारी के निरसन के संबंध में पत्राचार पर नहीं विचार किया जाएगा।
- vii) केवल ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र जारी करना उम्मीदवार को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं देगा या पात्रता मानदंड पूरा करने की अभिस्वीकृति के रूप में अनुमान नहीं किया जा सकेगा।
- viii) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवार को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच करना होगा। ऐसी चिकित्सा जांचों की रिपोर्ट सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के अधीन है।
- ix) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक उद्यमों में पहले ही कार्यरत किसी उम्मीदवार के पिछले रोज़गार के वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन अंशदान आदि के कारण किसी देयता को नहीं संभालेगा।
- x) सभी पदों के लिए रैंक सूचियों को बनाए रखा जाएगा और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान संचालित किया जाएगा। अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग तिथि से 18 महीने तक रैंक सूची की वैधता होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, जब तक कि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह दी जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नए रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
- xi) अनुच्छेद I में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी। रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को शिप्यार्ड के विवेकाधिकार पर मौजूदा रैंक सूची से भरा जाएगा।
- xii) उपरोक्त या किसी अन्य शर्तों के बावजूद कोचीन शिप्यार्ड को अधिसूचित रिक्तियां न भरने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा अधिसूचित रिक्तियों को भरने हेतु रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन किया जाएगा। सीएसएल को यदि अपेक्षित है तो, सूचना के बिना अथवा उसके लिए कोई भी कारण नियत किए बिना भर्ती प्रक्रियाएं सीमित करने / बदलने/ रद्द करने / परिवर्तन करने का अधिकार है।
- xiii) यदि किसी स्थिति में, कोई सूचित कार्य असत्य/ गलत पाया गया या उम्मीदवार योग्यता अपेक्षाओं को पूरा न करते हैं तो, बिना सूचना के उम्मीदवारी / नियुक्ति, रद्द/ अस्वीकृत की जाएगी।



कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरत्न कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

xiv) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि केलिए संरक्षित किया जाएगा।

xv) इस विज्ञापन से व्युत्पन्न किसी दावा अथवा विवाद के संबन्ध में किसी वैध कार्रवाई और/अथवा इस संबन्ध में आवेदन के बल एर्णाकुलम में अधिकार क्षेत्र होने वाले न्यायालय/ट्रिब्यूनल/मंच में संस्थापित कर सकता है और ऐसे न्यायालय व प्राधिकरण को एकमात्र तथा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होगा।

xvi) विज्ञापन में कोई आशोधन, संशोधन अथवा परिवर्तन केवल सीएसएल वेबसाइट में ही दी जाएगी।

xvii) अन्य कोई पूछताछ केलिए, कृपया ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए संपर्क करें।

VII. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

सीएसएल में प्रवेश चयन के ज़रिए आवेदन प्राप्ति की तिथि	:	10 दिसंबर 2021
समय	:	0900 बजे से 1300 बजे तक
आवेदन प्राप्ति का स्थान	:	आगंतुक सुविधा केंद्र, रविपुरम गेट, कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड, कोच्ची- 682015

(आवेदन प्राप्त करने केलिए दी गई तिथि और समय पर उपरोक्त स्थान पर ड्रॉप बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा।)

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी। ”

“केवल भारतवासी ही आवेदन करें। ”

ह/-
महाप्रबंधक (मा.सं.)